सूचना का अधिकार के तहत छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. में अपीलीय अधिकारी
श्री एच.के.पाण्डेय, कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)

अपील प्रकरण क्रमांक 17/2020 दिनांक 17.06.2020

O/o CE (EITC)
Receipt No. 1106
Date 11 DEC 2020
DGM (IT) / SE (O)
EE.........................
Section ....

श्री हेमंत कुमार साहू
कार्यपालन अभियंता (एमटीआरयू)
छ.ग.स्टे.पा.डि.क.लिमि. भिलाई

अपीलार्थी

विरूद्व

श्री के.एस.भारती
जनसूचना अधिकारी
होल्डिंग कंपनी, रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–

(दिनांक ....27/11/2020.......... को पारित)

अपीलार्थी श्री हेमंत कुमार साहू, भिलाई की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–दो होल्डिंग कंपनी रायपुर के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसे पंजीयन क्रमांक 17/2020 दिनांक 17.06.2020 के द्वारा पंजीबद्व किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 25.04.2020 के माध्यम से जनसूचना अधिकारी से निम्न जानकारी चाही गई है :–

क्रं. 01–05/पीडी–पांच/738–739 दिनांक 30.10.2019 एवं क्रं. 01–05/पीडी–पांच/741–742 दिनांक 30.10.2019 आदेशों की मूल नस्ती में शुरूआत से अंतिम आदेश तक समाहित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति।

(3) पत्र क्रमांक 26 दिनांक 26.06.2020 के माध्यम से अपील की सुनवाई दिनांक 16.07.2020 को निर्धारित किया गया। निर्धारित तिथि को माननीय अध्यक्ष, पॉवर कम्पनीज के साथ बैठक आयोजित होने के कारण अपील में सुनवाई नही की जा सकी। अपील की सुनवाई दिनांक 25.07.2020 को नियत की गई। दिनांक 22.07.2020 से 28.07.2020 तक COVID -19 संक्रमण के रोकथाम हेतु छ0 ग0 शासन द्वारा जारी निर्देशों के दृष्टिगत निर्धारित तिथि को अपील में सुनवाई की कार्यवाही नही की जा सकी। अतः अपील प्रकरण की सुनवाई दिनांक 18.08.2020 को नियत की गई।

उक्त तिथि को अपीलार्थी के 02 अपील प्रकरण की सुनवाई निर्धारित था। अतः 01 अपील प्रकरण में सुनवाई संपन्न की गई। तथा शेष अपील प्रकरण के संबंध में संबंधित प्रभाग के (DPIO) उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–एक द्वारा प्रकरण की जानकारी प्रभाग को नहीं मिलने के दृष्टिगत 15 दिनों का अतिरिक्त समय मांग करते हुए, अनुरोध किया गया कि प्रकरण में सुनवाई हेतु पृथक से तिथि निर्धारित की जाए। अतः संबंधित प्रभाग के (DPIO) का अनुरोध स्वीकार करते हुए, अपील की अगली सुनवाई दिनांक 02.09.2020 को निर्धारित की गई, जिसकी सूचना दोनों उभय पक्ष को दिया गया।

निर्धारित तिथि को जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (DPIO) उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)—एक उपस्थित हुए, किन्तु अपीलार्थी अनुपस्थित रहें। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही नही की जा सकी। अतः प्रकरण में अपीलार्थी को पुनः अपना पक्ष रखने का एक समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपील प्रकरण की सुनवाई दिनांक 23.09.2020 को निर्धारित की गई, जिसकी सूचना अपीलार्थी को दूरभाष के माध्यम से दिया गया। उक्त तिथि को जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (DPIO) उपस्थित हुए, किन्तु अपीलार्थी पुनः अनुपस्थित रहें। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही नही की जा सकी।

अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 05.09.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया कि कोरोना के चलते व उम्र 61 वर्ष होने के कारण वह अनावश्यक रूप से एक ही प्रकरण के लिए बार—बार उपस्थित नही हो सकता है। अतः निवेदन है कि उन्हे चाही गई जानकारी उपलब्ध करा दिया जाये।

अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रकरण की सुनवाई के समयावधि के दौरान यह उल्लेख करते हुए कि उन्हे चाही गई जानकारी उपलब्ध नही करायी गई है आवेदन दिनांक 03.11.2020 के माध्यम से माननीय राज्य सूचना आयोग, रायपुर को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रतिलिपि इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित की गई है जो इस कार्यालय में दिनांक 04.11.2020 को प्राप्त हुआ है, जो तर्क संगत नही है।

अपील प्रकरण में अपीलार्थी को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 24.11.2020 को अपील की सुनवाई नियत की गई। उक्त तिथि को अपीलार्थी पुनः अनुपस्थित तथा जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)—दो एवं संबंधित प्रभाग के (DPIO) उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)—एक, उपस्थित हुए। प्रकरण में अपीलार्थी को बार—बार सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया किन्तु वे हर बार अनुपस्थित रहें। अतः प्रकरण में गुण—दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही किया गया।

(4) जनसूचना अधिकारी द्वारा सुनवाई तिथि को मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि कंडिका 02/—टीप में आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)—एक के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में संबंधित प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)—(ञ) में निहित प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत सूचना के संबंध में जानकारी प्रकटन हेतु जब तक उसका संबंध लोक क्रियाकलाप या लोकहित से ना हो या जिसमें लोकहित सन्निहित ना हो, प्रकटन नहीं किया जाना है। अतः आवेदक को जानकारी दिया जाना उचित नही है। उक्त वस्तुस्थिति से आवेदक को निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र क्रमांक 1370 दिनांक 03.06.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया है।

(5) (i) निर्धारित तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (DPIO) उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)—एक, के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) अपीलार्थी का अपील आवेदन तर्क कि उन्हे वांछित जानकारी लोकहित में सन्निहित नही है का लेख करते हुए जनसूचना अधिकारी द्वारा जानकारी प्रदान करने से इंकार किया गया है। अतः उन्हे चाही गई जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए।

(iii) जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (DPIO) का तर्क कि आवेदक द्वारा जो जानकारी चाही गई है वह पदोन्नति से संबंधित है जिसमें अधिकारियों की Qualification, Performance, उच्च अधिकारियों के टीप, नाम, पदस्थापना इत्यादि व्यक्तिगत जानकारी/दस्तावेज है, जिसका प्रकटन विस्तृत लोकहित में उचित नही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)—(ञ) में निहित प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत सूचना के संबंध में जानकारी प्रकटन हेतु

जब तक उसका संबंध लोक क्रियाकलाप या लोकहित से ना हो या जिसमें लोकहित सन्निहित ना हो, प्रकटन नहीं किया जाना है। अतः आवेदक को जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना संभव नही है।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कंडिका 4/–टीप में जनसूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी द्वारा जो जानकारी चाही गई है वह व्यक्ति विशेष से संबंधित गोपनीय दस्तावेज है, जिसका प्रकटन व्यापक लोकहित में उचित परिलक्षित नही होता है।

यह कि अपीलार्थी श्री हेमंत कुमार साहू (पारे./वित.) संकाय के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कार्यपालन अभियंता के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी द्वारा (सिविल) संकाय के पदोन्नति से संबंधित जानकारी/दस्तावेज चाही गई है, जिसका अपीलार्थी से कोई संबंध नही है। परिणामतः उक्त जानकारी/दस्तावेज का प्रकटन व्यापक लोकहित में नही है।

प्रकरण की समीक्षा एवं प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी एवं संबंधित प्रभाग के (DPIO) के दलीलों पर विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी लोकहित से संबंधित नही रखता है, अतः उक्त जानकारी का प्रकटन उचित नही है।

उपरोक्त कंडिका 05 टीप के पैरा (iii) एवं कंड़िका 06 टीप के दृष्टिगत प्रकरण में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्कता नही है। अतः दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 17/2020 दिनांक 17.06.2020) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

क्रमांक :– 01–02/अपील प्रकरण –17/2020/78 रायपुर, दिनांक 27/11/2020

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
(2) उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–एक, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
(3) श्री हेमंत कुमार साहू कार्यपालन अभियंता (एमटीआरयू) संभाग, छ.ग.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि. भिलाई को सूचनार्थ प्रेषित।
(4) मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, जिला– रायपुर (छ.ग.)
पिन – 492002